


विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1087, द्वारा श्रीमती लीना संजय जैन, मान. विधायक
विभाग द्वारा उत्तर भेजने की तिथि- 10.12.2019, सदन में उत्तर की तिथि- 18.12.2019

जिला विदिशा में मान.विधायकों को उपलब्ध कराये गये लिपिकों को नियत यात्रा भत्ता का लाभ दिये
जाने के संबंध में जानकारी

स.क्र.	माननीय विधायक का नाम	संलग्न कर्मचारी का नाम	नियत यात्रा भत्ता दिया जा रहा है, यदि नहीं तो उसका कारण
1.	श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, विधान सभा क्षेत्र विदिशा	श्री गोविंद सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3	श्री गोविंद सिंह राजपूत, कार्यालय विदिशा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित शासन के आदेशानुसार अक्टूबर 2015 से परिसमापन में होने के कारण वसूली प्राप्त न होने से, बैंक के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कब तक भुगतान किया जावेगा, इस संबंध में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं।
2.	श्रीमती लीना जैन, विधान सभा क्षेत्र बासोदा	श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव, गणक	श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव को वर्तमान में लाभ नहीं दिया जा रहा है। दिनांक 30.12.2019 तक एरियर सहित लाभ प्रदान कर दिया जायेगा।
3.	श्री उमाकांत शर्मा, विधान सभा क्षेत्र सिरौज	श्री गिरजेश शर्मा, माध्यमिक शिक्षक	संलग्न किये जाने की दिनांक से लाभ दिया जा रहा है।
4.	श्रीमती राजश्री रुद्र प्रताप सिंह, विधान सभा क्षेत्र शमशाबाद	श्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक शिक्षक	संलग्न किये जाने की दिनांक से लाभ दिया जा रहा है।


 (श्रीमती मनीषा सेंतिया)
 उप सचिव
 सामान्य प्रशासन विभाग